



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रविप/COVID-19/2020/665 जयपुर, दिनांक 21/4/2020

:: आ दे श ::

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.12(3)वित्त (नियम)/2014 दिनांक 11.4.2020 के द्वारा COVID-19 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रूपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में जारी आदेश के क्रम में आज दिनांक 21.4.2020 को वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102001818 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "उक्त आदेश उन सभी कार्मिकों पर लागू होगा जिन पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (अशंदायी पेंशन) नियम, 2005 के नियम लागू होते हैं।" उक्त आदेश की स्वाकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्यक्षीन प्रदान की गई है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. आरूषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. मुख्य/अति. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
6. आदेश पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक